P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-4* ISSUE-8* April- 2017
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

असंगठित क्षेत्रो में कार्यरत महिला श्रमिक एवं श्रमकल्याण कार्यक्रम एक अध्ययन

अनिल कुमार उपाध्याय
विभागाध्यक्ष,
समाजशास्त्र विभाग,
शा.नेहरू स्नातकोत्तर महा. वि.
,
बुढ़ार

अर्पणा उपाध्याय
सदस्य बाल कल्याण समिति,
सहडोल

सारांश

प्राचीन काल से महिलाओं का देश के विकास में अत्याधिक योगदान रहा हैं, विश्व की आधी आबादी के रूप में अपनी श्रम शक्ति के द्वारा समाज में महिलाओं के योगदान को नकार नहीं सकते । परन्तु उक्त श्रम शक्ति को समुचित सम्मान न मिलने के कारण महिलाओं के श्रम को इतिहास एवं वर्तमान में उचित स्थान नहीं मिल पा रहा हैं । कार्ल मार्क्स दुर्खिम से लेकर वर्तमान में योगेन्द्र सिंह ने भी समय – समय पर इस पर अपनी चिंता प्रकट की हैं । भारतीय संदर्भ में यदि विचार करें तो हम पातें हैं कि महिला श्रम का उचित स्थान न मिलने का महत्वपूर्ण कारण सम्पूर्ण श्रम की व्यवस्था का अंसगठित क्षेत्र में होना हैं । संगठित क्षेत्र के अभाव में श्रम कल्याण नियमों के अधीन न होने के कारण महिला श्रमिको को सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओ के लाभ से वंचित रहना पड़ता हैं । प्रस्तुत अध्ययन में इस महिला श्रम को उचित दशा एवं दिशा में किस प्रकार पहुंचाया जाय यह जानने का प्रयास किया गया हैं ।

मुख्य शब्द : श्रमिक एवं श्रमकल्याण, असंगठित क्षेत्रों

प्रस्तावना

सामान्यतः श्रम शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति अथवा जीव द्वारा किसी कार्य को करने में किये गये प्रयास की मात्रा को कहते है । परन्तु विस्तृत अर्थो में श्रम से आशय उन सभी श्रमिको से हैं जो बड़े अथवा छोटे पैमाने के उद्योग में काम करते है उन कार्यो के उपलक्ष्य में कुछ प्रतिफल की आशा करते है श्रमिक कहा जाता है । आधुनिक समय में श्रम अनेकों क्षेत्रो में किया जा रहा है यथा औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र एवं निर्माण क्षेत्र ।

श्रम को उत्पादकता में लगाने वाले श्रमिकों में प्रतिफल के लिए सदैव संघर्ष रहा है । प्रो0 पुगू ने कहा है कि परिश्रम या सेवा जिसे द्रव्य द्वारा मापा जाता है या जा सकता है श्रम कहलाता है । उक्त कथन से परिलक्षित होता है कि श्रम के बदले द्रव्य है तो अधिकता के लिए संघर्ष भी है ।

कार्ल मार्क्स ने तो श्रम के आधार पर इतिहास की व्याख्या की ही प्रस्तुत की है तथा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि श्रम की महत्ता जो सर्वविदित है परन्तु उचित प्रतिफल के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है । अर्थशास्त्री प्रो0 मार्शल ने श्रम की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया है कि श्रम से आशय मनुष्य के आर्थिक कार्यो से है चाहे वह शारीरिक हो अथवा मानसिक अर्थात श्रम को प्रतिफल की आकाक्षा का परिणाम प्रदर्शित किया गया है । साथ ही प्रो0 मार्शल के अनुसार साधारण कृषि कार्य से लेकर बौधिक रूप से किये जा रहे समस्त कार्य श्रम की श्रेणी में आते है । इसी प्रकार की व्याख्या प्रो0 टामस ने भी प्रस्तुत की है आपके अनुसार प्रत्येक मानवीय प्रयास चाहे शारीरिक हो अथवा मानसिक यदि पुरस्कार प्राप्ति की आशा से किये जाते है तो वह श्रम कहलाता है ।

श्रम का आर्थिक महत्व

उपरोक्त विद्वानो के कथन से श्रम का आर्थिक महत्व निम्नानुसार परिलक्षित होता है–

शोध प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन में समाजिक अनुसंधान की अवलोकन एवं अनुसूचित पद्धति का प्रयोग किया गया हैं तथा संरचनात्मक निष्कर्षो के लिऐ सांख्यिकीय पद्धति का प्रयोग किया गया हैं । कहीं – कहीं अध्ययन हेतु साक्षात्कार विधि भी प्रयोग में लाई गई हैं ।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-4* ISSUE-8* April- 2017
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

अध्ययन का उद्देश्य

शहडोल जिला एक आदिवासी बाहुल्य जिला हैं। शहडोल जिले में बड़ी संख्या में शासकीय एवं गैर शासकीय निर्माण कार्यो में महिला श्रमिक कार्यरत हैं। महिला श्रमिको को कार्य के समय एवं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में कौन–कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं तथा क्या सरकार इन्हे किसी प्रकार का संरक्षण उपलब्ध कराती हैं । यह जानना प्रमुख उद्देश्य है। प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से सरकार को सुझाव प्रस्तुत करना भी अध्ययन का उद्देश्य हैं ।

श्रम का मांग पर प्रभाव

श्रम की सहायता से उत्पादन होता है अतः श्रम की आवश्यकता उत्पाद के व्यापारिक उपयोग पर निर्भर करती हैं ।

श्रम का मजदूरी पर प्रभाव

श्रम नाशवान है अतः मजदूर अपने श्रम को स्थगित नही रख सकता जिससे श्रम में सौदा करने की शक्ति अत्यल्प होती है । अतः होशियार उद्योग व्यवस्था श्रमिक की इस कमजोरी का सदैव लाभ उठाते हैं ।

श्रम का कार्यदशाओं पर प्रभाव

कार्यदशा सदैव कार्य को प्रभावित करती है । श्रमिक कार्यदशा के आघार पर कार्य की गुणवत्ता दे सकता हैं । इसी तथ्य के कारण ही श्रमिक को विभिन्न प्रकार की सुविधा देने का सिद्धान्त प्रतिपादित हो सका ।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि श्रमिक के श्रम को उसके कार्य के घण्टे, मजदूरी की दर, विभिन्न प्रकार की कार्यदशाएं गहराई से प्रभावित करती हैं ।

श्रम के संदर्भ में प्रो0 गेलब्रेथ का यह विचार समसमायिक है कि आजकल औद्योगिक विकास का अधिकांश भाग पूंजी विनयोग से नहीं बल्कि मानवीय प्रसाधन में उन्नति करने से उत्पन्न होता है । इस प्रसाधन में हमें विनयोग से अधिक प्रतिफल मिलता है ।

परन्तु श्रम नीति एवं श्रम कल्याण से विरत असगठित क्षेत्र है जहाँ मजदूरो का अत्यधिक शोषण है तथा उपरोक्त चर दृष्टिगत नही होते । इस क्षेत्र में महिला श्रमिक अत्याधिक शोषित तथा सभी लाभों से वंचित हैं ।

अंसगठित क्षेत्र में महिला श्रमिक

वर्तमान समय श्रेणी से बढ़ते औद्योगीकरण तथा भवन एवं निर्माण उद्योग के क्षेत्र में महिला श्रमिकों की भागीदारी निरंतर बढ़ती जा रही है । परन्तु अधिकांश भवन एवं निर्माण उद्योगो में महिला श्रमिको का शोषण आमतौर पर देखा एवं महसूस किया जा सकता हैं । उसका मुख्यकारण संगठन कव आभाव हैं ।

1981 की जनगणना के अनुसार महिला कार्य कर्ताओं के 89.5ः को असंगठित क्षेत्र में कार्य करना पड़ता हैं। अर्न्तराष्ट्रीय मजदूर संगठन निम्न महिलाओं की विभिन्न स्थानों में उपस्थित को निम्नानुसार वर्णित करता हैं–

1. महिलाएं 50% जनसंख्या का हिस्सा हैं
2. 30% श्रमशक्ति का हिस्सा हैं
3. अपने प्रतिदिन का 60% समय कार्य में गुजारती हैं
4. विश्व की आप का 10% अर्जन करती हैं
5. विश्व की मात्र 1% सम्वती की महिला हैं

उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त अंसगठित क्षेत्रो में महिला श्रमिको को संगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की तुलना में आय अत्यधिक कम हैं तथा वर्ष में कृषि एवं निर्माण में रोजगार न मिलनें से आय और भी कम हो जाती है । जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है अध्ययन से यह ज्ञात होता हैं कि रोजगार का स्वरूप अस्थाई हैं जैसे कृषि एवं निर्माण वहां काम की सुरक्षा उपलब्ध नहीं है । अंसगठित क्षेत्र होने के कारण रोजगार प्रदाता द्वारा किसी भी समय निकाला भी जा सकता हैं ।

अंसगठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों को श्रमक कल्याण सम्बन्धी सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा हैं । अध्ययन से यह ज्ञान होता है कि संद्य के सदस्य न होने के कारण श्रम बाजार के उतार चढ़ाव का सीधा असर श्रमिको के वेतन पर पड़ता है । अंसगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिक सरकारी अधिनियमों से प्रशासित नहीं होते अतः उनके वेतन तथा कार्यदशा सुरक्षित नहीं होते ।

बीमा तथा दुर्घटना बीमा के लाभ से भी वंचित रहते हैं जिससे दुर्घटना प्रतिपूर्ति लाभांश , वेतन सहित अवकाश की सुविधा एवं सेवा निवृति के लाभ भी प्राप्त नही हो रहे ।

उपरोक्त अध्ययन से अंसगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का शोषण हर स्तर पर परिलक्षित होता हैं । ये महिलाऐं राष्ट्र के श्रम के उत्पाद का एक बड़ा भाग है जिन्हे शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना अत्यधिक आवश्यक हैं ।

राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित उपाय

भारत सरकार एवं राज्य सरकारें अंसगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों के कल्याण हेतु निम्नानुसार उपाय प्रारम्भ किये गये हैं –

दुर्घटना बीमा

राज्य सरकारों ने कुछ अंसगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिको हेतु दुर्घटना के विरूद्ध बीमा करने की व्यवस्था की जा रही हैं ।

न्यूनतम वेतन

राज्य सरकार द्वारा अंसगठित क्षेत्र में महिलाओं को पुरूषों के बराबर वेतन देने का निर्णय लिया हैं जैसे केन्द्र द्वारा 1/10/2015 को गजट नोटिफिकेशन द्वारा निम्नानुसार निर्धारण किया गया हैं –

रोजगार	मजदूरी रू में
कृषि	206 प्रतिदिन
पत्थर की खदानो में	236 प्रतिदिन
साफ सफाई	353 प्रतिदिन
लोंडिग एण्ड अनलोंडिग	294 प्रतिदिन
निर्माण	236 प्रतिदिन
खदान	236 प्रतिदिन

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता हैं कि राज्य एवं केन्द्र सरकार न्यूनतम वेतन के संदर्भ में प्रयासरत हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण श्रमिक आयोग एवं राज्य श्रमकल्याण प्रशासन भी निरंतर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों के हित संरक्षण के लिए प्रयासरत हैं ।

सरकार द्वारा विभिन्न कानूनों का निर्माण किया गया हैं। परन्तु कानून की जानकारी श्रमिको को नही होने से सरकार अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पा रही हैं ।

निष्कर्ष

सशक्त राष्ट्र के लिये प्रत्येक विकास के आयाम में महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य है। अंसगठित क्षेत्र में सर्वाधिक महिला शक्ति कार्यशील हैं । यहां वर्तमान समय में आधुनिक परिवर्तन की वयार बह चली हैं । प्रत्येक क्षेत्र में नियमों कानूनों एवं नवीन संरक्षणवादी विचारधाराएँ निरंतर अपना स्थान बनातें जा रहें हैं । अतः अब आवश्यकता इस इस बात की हैं कि असंगठित क्षेत्र में महिलाओं को संरक्षण प्रदान करना नितांत आवश्यक हैं तथा श्रम के इन क्षेत्रों का नियमन भी अनिवार्य हैं । यदि इस क्षेत्र को कुछ नियमों एवं कानूनों द्वारा संरक्षित कर दिया जाय,तो यहां कार्यशील महिलाओं को नया जीवन एवं कार्य की उत्कृष्ट दशाएं उपलब्ध कराई जा सके ।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में न केवल स्त्री पुरूष की समानता सुनिश्चित की गई हैं अपितु जीवन के सभी क्षेत्रो में स्त्रियों को भेदभाव से दूर करने एवं इनसे उबरने के लिए विधान भी किया गया हैं । अतः यदि जनप्रतिनिधि असंगठित क्षेंत्र में कार्यरत महिलाओं के दर्द पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें तो निश्चित रूप से महिलाओं के जीवन में एक नया सवेरा आ सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *डी.ए. बबीत अंसगठित उधोग एवं महिला श्रमिक, (शोध प्रबंध) समाजशास्त्र विभाग, का हि.वि.वि. 1993*
2. *गुप्त , नीलम मई, " अंसगठित क्षेत्र की महिलाओं की तस्वीर " योजना पृष्ट 35–36, 1998*
3. *राय,सरोज,महिला श्रमिक ,रावत पब्लिकेशन ,जयपुर एवं नई दिल्ली,1999*
4. *रमा पाण्डेय ,भारतीय रेल कर्मियों की कार्य संतुष्टि" मानक पब्लिकेशन (प्रा.) लि. दिल्ली , 1997*
5. *शुक्ला , डॉ. "समाज वैज्ञानिकी " अंक 8 मार्च 2006, गौरव प्रकाशन ,रीवा,*
6. *Agarwal Bina,1989. 'Rural Woman Poverty and Natural Resources :*
7. *Subtenance, Sustainability and Struggle for Change, Economic and Political Weekly, Vol.XXIV,No.43.pp.46-66*
8. *Agarwal Bina,1985. 'Rural Woman and High Yielding Variety Rice*
9. *Technology Economic and Political Weekly ,Vol.XIV,No.13*
10. *Ankar, R.M. Khan and R.B. Gupta(1988) woman's participation in the*
11. *Labour Force:A methods test in India for improving its Measursment,Woman Work and Development ,No.16 ILO, Geneva.*
12. *Arputhamurthy,S. Woman ,Work and discrimination. Ashish Publishing Home, N.Delhi,1990*
13. *Banerijee N, "Why they get a worse Deal Report on Unogranised woman workers in Calcutta,"Maushi.No.20pp 15-30,1985*
14. *Banergee,N., Woman Workers in the Unorganozed Sector,Sangam books Hyderabad,1985*
15. *Bardhan P.K.,"Labour supply fuction in poosr agrarian Economy' ,American Economic Review Vol.69,No-7,March,1979.*
16. *Desai, N. and Krishnaraj ,M.,1987 Woman and Society in India, Ajanta Publications, n. Delhi., 1987.*
17. *Devi,L., Status and employment of woman in India ,BR Pub. Corp. N. Delhi., 1982*
18. *Duvvury, Nata,Work Participation of Woman in India: A Study with Special Reference or female Agricultural Labourers,1961 to 1981,A.V. Jose (ed),Op. Cit., pp.63-107.*